भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2994
दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों से लौटने वाले प्रवासियों का पुनर्वास

2994. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों से लौटने वाले प्रवासियों के पुनर्वास के लिए सहायता के दौरान आने वाली चुनौतियों की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास भारत लौटने पर इन प्रवासियों के लिए पेंशन सहित कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ लागू करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क से घ) सरकार विदेशों में संकटग्रस्त भारतीयों को आवश्यक सहायता प्रदान करने सहित उनकी सलामती और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। वापस लौटने वाले नागरिकों के पुनर्वास की जिम्मेदारी उन राज्य सरकारों की है, जहां से प्रवासी नागरिक विदेश गए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने जीसीसी देशों से लौट कर आए कामगारों के पुनर्वास के लिए तौर–तरीके और साधन विकसित किए हैं।

*****